रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 480] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 31, 2007/कार्तिक 9, 1929
No. 480] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 31, 2007/KARTIKA 9, 1929

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2007

खादी और ग्रामोद्योग आयोग विनियम, 2007

सा.का.नि. 688(अ).—आयोग, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्दीय सरकार की पूर्व मंजूरी सहित और खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1958 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसा अधिक्रमण करने से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खादी और ग्रामोद्योग आयोग विनियम, 2007 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं.**—इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(2) "अधिनियम" से खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) अभिप्रेत है;

(कक) "नियुक्ति प्राधिकारी" से खादी और ग्रामोद्योग आयोग कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) विनियम, 2003 के विनियम 2 के खंड (क) के अधीन यथा परिभाषित कोई नियुक्ति प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) "बोर्ड" से अधिनियम की धारा 10 के अधीन गठित बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) "अध्यक्ष" से आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" से अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के अधीन नियुक्त कोई मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिप्रेत है;

(ङ) "आयोग" से अधिनियम की धारा 4 के अधीन गठित खादी और ग्रामोद्योग आयोग अभिप्रेत है ;

(च) "कार्यालय का प्रधान" से ऐसा कोई अधिकारी अभिप्रेत है जिसे आयोग द्वारा घोषित किया जाए ;

(छ) "नियम" से अधिनियम की धारा 26 के अधीन सरकार द्वारा बनाए गए खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, 2006 अभिप्रेत है ;

(ज) "आंचलिक समिति" से अधिनियम की धारा 12क के अधीन आयोग द्वारा गठित कोई समिति अभिप्रेत है ;

(झ) उन शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं, किंतु इनमें परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम और अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम और नियमों में हैं ।

3. आयोग के कर्मचारी : साधारण उपबंध --(1) आयोग, केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमोदन से, अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए, समान प्रवर्गों के कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सरकारों द्वारा नियत की गई दरों की रकम को ध्यान में रखते हुए, वेतनमान और भत्ते, अंगीकृत कर सकेगा ।

(2) आयोग के कर्मचारियों के मुख्य चार वर्ग होंगे--समूह--क, ख, ग और घ- जो अतिरिक्त श्रेणियों में वर्गीकृत किए जा सकेंगे और आयोग, समय समय पर अपने कर्मचारियों के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को विहित करते हुए आदेश जारी करेगा ।

(3) आयोग, जहां कहीं आवश्यक हो, नियत मासिक पारिश्रमिक पर (जिसमें भत्ते भी सम्मिलित हैं) या दैनिक मजदूरियों पर व्यक्तियों का नियोजन कर सकेगा । यदि ऐसा मासिक पारिश्रमिक, 20000/-रुपए (बीस हजार रुपए) प्रति मास से अधिक है तो ऐसे मामलों में सरकार की पूर्व मंजूरी ली जाएगी ।

(4) (क) आयोग, यदि उसके कार्य के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर अवैतनिक कर्मकार नियुक्त कर सकेगा ।

(ख) आयोग, अवैतनिक कर्मकारों को ऐसा मानदेय जैसा वह ठीक समझे, संदाय कर सकेगा ;

परंतु आयोग द्वारा, सरकार की पूर्व मंजूरी वहां ली जाएगी जहां आयोग द्वारा प्रस्तावित मानदेय की रकम 20000/- रुपए (बीस हजार रुपए केवल) प्रति मास से अधिक है ।

(ग) आयोग, अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करके, सामायिक हैसियत और कर्तव्यों की प्रकृति को जिनका पालन करने के लिए ऐसे अवैतनिक कर्मकारों को बुलाया जा सकेगा, ध्यान में रखने के पश्चात् अवैतनिक कर्मकारों के लिए अनुज्ञेय यात्रा और दैनिक भत्तों के अवधारण के प्रयोजन के लिए अवैतनिक कर्मकारों की श्रेणियां नियत कर सकेगा ।

(5) अधिनियम, नियमों और इन विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आयोग, अपने सभी कर्मचारियों और अवैतनिक कर्मकरों की (मुख्य कार्यपालक अधिकारी और वित्तीय सलाहकार से भिन्न) सेवा के निबंधन और शर्तें अधिकथित करेगा । अन्य बातों के साथ साथ निबंधन और शर्तों में वे विषय भी समाविष्ट होंगे जैसे किन्हीं कर्मचारियों या कर्मचारियों के वर्ग की दशा में अपेक्षित भर्ती के समय आयु सीमाएं, नयूनतम अर्हताएं और अनुभव आदि । आयोग, लिखित में आदेश द्वारा जहां कहीं वह, आयोग के कार्य के हित में ऐसा करना आवश्यक समझता है, इन निबंधनों और शर्तों में से किसी को शिथिल कर सकेगा ।

परंतु इस उपविनियम या उसके अनुसरण में किए गए किसी अन्य उपबंध की कोई बात, इस संबंध में समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के आधार पर, आयोग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति या व्यक्तियों के अन्य विशेष प्रवर्गों के लिए प्रदान करने के लिए अपेक्षित आरक्षणों और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी ।

(6) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के ऐसे स्थायी कर्मचारियों की दशा में जिनकी सेवाएं आयोग को प्रदान की जानी है, सेवा के निबंधन और शर्तें (जिनमें उनका वेतन, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, छुट्टी, भविष्य निधि, छुट्टी वेतन और पेंशन अभिदाय सम्मिलित है) ऐसी होंगी जैसी आयोग में उनके प्रतिनियुक्ति के समय पर अधिकथित की जाएं ।

(7) आयोग, अपने कर्मचारियों को, ऐसे निबंधनों और शर्तों के, जो आयोग द्वारा विहित की जाएं, अध्ययन या अनुसंधान करने या आयोग के कार्य से संबंधित विज्ञान, तकनीकी या आर्थिक विषयों में विशेषज्ञीय प्रशिक्षण अभिप्राप्त करने में उनको समर्थ बनाने के लिए अध्ययन छुट्टी प्रदान कर सकेगा ।

(8) आयोग, सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित के संबंध में विनियम बना सकेगा :--

(क) अपने कर्मचारियों को उपदान का अनुदान ;

(ख) आयोग की निधि से अपने कर्मचारियों को दी जाने वाली चिकित्सा सहायता ;

(ग) कर्मचारियों के लिए अभिदायी भविष्य निधि का स्थापना ; और

(घ) अपने कर्मचारियों के आचरण और अनुशासन और उसके संबंध में आदेशों से अपीलें ।

4. स्वास्थ्य प्रमाण पत्र –(1) आयोग का प्रत्येक कर्मचारी ऐसे प्राधिकारी से जो समय समय पर आयोग द्वारा विहित किया जाए, स्वास्थ्य का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा । ऐसा प्रमाण पत्र, नियुक्ति की तारीख से एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा ।

(2) आयोग, पर्याप्त कारण से उस अवधि का विस्तार कर सकेगा जिसके भीतर चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना है ।

IndiaCode

(3) आयोग, यदि आयोग के कार्य के हित में ऐसा करना आवश्यक समझता है तो सर्वथा विशेष दशाओं में स्वास्थ्य प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करने से संबंधित शर्त को लिखित में आदेश द्वारा अधित्यक्त कर सकेगा ।

(4) आवश्यक चिकित्सा प्रमाणपत्र प्राप्त करने में असमर्थता के कारण उन्मोचित किए गए किसी कर्मचारी की, अग्रिम रुप से उसके द्वारा ऐसे किसी प्रमाणपत्र को प्रस्तुत किए बिना आयोग के अधीन पुनःनियुक्ति नहीं की जाएगी ।

(5) कोई नया स्वास्थ्य प्रमाणपत्र अपेक्षित नहीं होगा यदि उन्मोचित किया गया कोई व्यक्ति, सेवा की पूर्व अवधि के दौरान प्रस्तुत किए गए प्रमाणपत्र की तारीख से छह मास के भीतर आयोग के अधीन पुनःनियुक्त किया गया है ।

5. परिवीक्षा, परीक्षण अवधि, पुष्टि और अधिवार्षिता --(1) स्थायी या अस्थायी रिक्तियों पर भर्ती किए गए आयोग के सभी कर्मचारी, ऐसी अवधि के लिए, जो समय समय पर भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डी ओ पी टी) द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतो में विनिर्दिष्ट की जाए, क्रमशः परिवीक्षा या परीक्षण अवधि पर रहेंगे । परिवीक्षा या परीक्षण की ऐसी अवधि को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझता है तो व्यक्तिगत मामलों में एक वर्ष की अधिकतम अवधि तक विस्तारित कर सकेगा ।

(2) (क) परीक्षण अवधि के संतोषप्रद पूरा होने के पश्चात् कर्मचारी अस्थायी पदों पर बने रहेंगे ।

(ख) स्थायी रिक्तियों पर भर्ती किए गए कर्मचारियों की, परिवीक्षा के संतोषप्रद पूरा होने के पश्चात् उन पर पुष्टि कर दी जाएगी परंतु कर्मचारी विहित हिन्दी परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हों ।

(3) (क) इस उप-विनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, आयोग का प्रत्येक कर्मचारी (किसी अवेतनिक कर्मकार या सरकारी कर्मचारी से भिन्न) उस दिन, जिस दिन वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करता है, सेवानिवृत्त होगा ।

(ख) खंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, आयोग की, यदि यह राय है कि ऐसा करना हित में है तो किसी कर्मचारी को, लिखित में तीन मास से अन्यून की सूचना देकर या ऐसी सूचना के स्थान में तीन मास का वेतन और भत्ते देकर, सेवानिवृत्त करने का आत्यंतिक अधिकार होगा ;

(i) यदि वह समूह-क या समूह-ख सेवा या पद पर है और पैंतीस वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व आयोग की सेवाओं में प्रविष्टि हो चुका था, पश्चात् वह पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है ;

(ii) अन्य सभी दशाओं में, पचपन वर्ष की आयु प्राप्त कर चुकने के पश्चात् ;

(iii) नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में तीन मास से अन्यून की सूचना देते हुए आयोग के किसी कर्मचारी को, यदि वह समूह-क या समूह-ख सेवा या पद पर है तो उसके

पचास वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् और वह पैंतीस वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व आयोग की सेवा में प्रविष्टि हो चुका था, तथा अन्य सभी दशाओं में उसके पचपन वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात्, आयोग की सेवा से सेवानिवृत्त किया जा सकेगा ;

परंतु आयोग, निलंबन के अधीन किसी कर्मचारी की, जो इस खंड के अधीन सेवानिवृत्ति चाहता है, अनुज्ञा को विधारित करने के लिए खुला रहेगा ।

(iv) विनियम के खंड (ख) की मद संख्यांक (i) और (ii) तथा उप विनियम (3) के उपबंधो का अवलंब लेने के लिए निर्देशक कारक ;

(1) प्रत्येक उस दशा में, जहां पूर्वोक्त विनियम 5(3)(ख) के उपपैरा (i) और (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, आयोग के किन्हीं कर्मचारियों को सेवानिवृत्त किया जाना प्रस्तावित किया गया है वहां आयोग, प्रत्येक दशा में उसके कारणों को अभिलिखित करेगा कि लोक हित में पूर्वोक्त विनियम के अनुसरण में आयोग के कर्मचारी को सेवानिवृत्त करना आवश्यक है ।

(2) किसी कर्मचारी के पूर्ण सेवा अभिलेख के निर्धारण पर पुनर्विलोकन करते समय, कोई कर्मचारी, साधारणतया, अक्षमता के आधारों पर सेवानिवृत्त नही किया जाना चाहिए यदि उसकी सेवा पूर्ववर्ती पांच वर्ष के दौरान या जहां उसको किसी उच्चत्तर पद पर प्रोन्नत किया गया है वहां उच्चत्तर पर पर उसकी सेवा उन पांच वर्ष की अवधि के दौरान संतोषप्रद पाई जाती है ।

(3) कोई कर्मचारी, साधारणतया, अक्षमता के आधारों पर सेवानिवृत्त नहीं किया जाना चाहिए यदि उसके मामले पर विचार करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिवर्षिता पर वह सेवानिवृत्त हो रहा है ।

(4) जब समय पूर्व सेवानिवृत्तियों के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हों तब अभ्यावेदनों पर केवल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी और आयोग के अनुमोदन अभिप्राप्त करने पश्चात ही अंतिम आदेश पारित किए जाएंगे ।

(5) विनियम 5(3) (ख) (i) और (ii) में निर्दिष्ट तीन मास की सूचना, विनिर्दिष्ट आयु को पूरी करने या सेवा के तीस वर्ष पूरे करने से पूर्व, आयोग के कर्मचारी को दी जा सकेगी किंतु सेवानिवृत्ति, आयोग के कर्मचारी के यथास्थिति सुसंगत आयु प्राप्त कर लेने पर या सेवा के तीस वर्ष पूरा कर लेने पर, की जानी चाहिए ।

(6) पूर्वोक्त विनिमय निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे,—(i) आयोग के किसी कर्मचारी की, प्ररूपिक अनुशासनिक कार्यवाहियां आरंभ करने के लिए संक्षिप्त उपाय के रूप में अवचार के विनिर्दिष्ट कार्यों के आधारों पर आयोग के कर्मचारी को सेवानिवृत्त करना ; या

(ii) अधिशेष कर्मचारी की कमी करने के लिए या छंटनी से संबंधित नियमों और अनुदेशों का पालन किए बिना साधारण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के उपाय के रूप में ;

(iii) इस आधार पर कि आयोग का कर्मचारी अपने स्थानापन्न पद पर बने रहने के लिए या उस उच्चतर पद पर जिसके लिए वह यथास्थिति पचास/पचपन वर्ष की अपनी आयु प्राप्त कर लेने या तीस वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात पात्र होना चाहिए, प्रोन्नति के लिए उपयुक्त नही है ।

6. सेवाओं का पर्यावसान – (1) परीक्षण की अवधि के दौरान, किसी अस्थायी कर्मचारी की सेवाएं, बिना सूचना और बिना कारण समनुदेशित किए, नियुक्ति प्राधिकारी या नियुक्ति प्राधिकारी से वरिष्ठ कोई प्राधिकारी समाप्त कर सकेगा ।

(2) परीक्षण की अवधि को संतोषपद रूप से पूरा करने के पश्चात् अस्थायी कर्मचारी की सेवाएं, एक मास की सूचना द्वारा या सूचना के स्थान पर एक मास के वेतन के (भत्तों सहित) संदाय द्वारा बिना किसी कारण को समनुदेशित किए, समाप्त की जा सकेंगी ।

(3) स्थायी पद के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किए गए किसी कर्मचारी की सेवाएं, बिना सूचना और बिना कारणों को समनुदेशित किए, परिवीक्षा की अवधि के दौरान, नियुक्ति प्राधिकारी या नियुक्ति प्राधिकारी से वरिष्ठ कोई प्राधिकारी, समाप्त कर सकेगा ।

(4) परिवीक्षा की अवधि को संतोषप्रद रूप से पूरा करने के पश्चात्, यदि उसके पद का अंत कर दिया गया है तो स्थायी नियोजन में किसी कर्मचारी की सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी :

परंतु स्थायी सेवा में किसी कर्मचारी की सेवाएं, इस विनियम के अधीन समाप्ति के लिए दायी नहीं होंगी, जहां तक उसी नियुक्ति प्राधिकारी के अधीन, समान श्रेणी और वर्ग या काडर का कोई पद है, उससे कनिष्ठ किसी व्यक्ति द्वारा धारित किया जाएगा :

परंतु यह और कि ऐसे किसी कर्मचारी को, उसकी अर्हता और अनुभव के उपयुक्त कोई आनुकल्पिक नियुक्ति, यदि कोई रिक्ति है, प्रस्तावित की जा सकेगी और यदि वह उस नियुक्ति को स्वीकार करता है तो उसकी सेवाएं समाप्त नहीं की जाएंगी ।

(5) (क) स्थायी सेवा में कोई कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रथमतः उसके त्यागपत्र को स्वीकार किए गए बिना, आयोग के अधीन अपनी सेवाएं नहीं छोड़ेगा ।

(ख) जब किसी स्थायी पद का अंत किए जाने के कारण, आयोग की स्थायी सेवा का कोई कर्मचारी, आयोग की सेवा से उन्मोचित कर दिया जाता है तो वह उसकी नियुक्ति समाप्त करने के

आयोग के आशय को संज्ञापित करते हुए तीन कैलेन्डर मास की सूचना या उसके स्थान पर, उस अवधि के लिए जिसके लिए वह सूचना वस्तुतः दी जानी है, नियमों में विनिर्दिष्ट अवधि से कम है, उसके वेतन के समतुल्य किसी रकम के लिए हकदार होगा ।

7. यात्रा भत्ते --(1) अयोग के कर्मचारी दौरे पर या स्थानांतरण पर, यात्राओं के लिए, ऐसी दरों पर और ऐसी शर्तों के अनुसार जो वैसे ही प्रवर्गों के कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के लिए पात्र होगा ।

(2) तथापि आयोग, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, जब कभी आवश्यक हो, अपने कर्मचारियों के लिए ऐसी दरों और शर्तों में परिवर्तन कर सकेगा ।

8. नियंत्रण अधिकारी--(1) अध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक अधिकारी और वित्तीय सलाहकार, अपने स्वयं के यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के बिलों के संबंध में नियंत्रण अधिकसार होंगे ।

(2) अध्यक्ष, आयोग और बोर्ड के सदस्यों के यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के बिलों के संबंध में नियंत्रण अधिकारी होगा ।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आयोग के कर्मचारियों और आयोग तथा बोर्ड के सदस्यों से भिन्न आशसकीय व्यक्तियों के यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के बिलों के संबंध में नियंत्रण अधिकारी होगा ।

(4) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, लिखित में आदेश द्वारा, यह निदेश कर सकेगा कि यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के प्रयोजन के लिए नियंत्रण अधिकारी की शक्तियां, आयोग के किसी अन्य अधिकारी, द्वारा प्रयोग किए जाने योग्य होंगी ।

(5) कार्यालय के प्रधान, समूह 'ग' और 'घ' कर्मचारियों के संबंध में नियंत्रण अधिकारी होंगे ।

9. दैनिक भत्ता --दैनिक भत्ता, अयोग के किसी कर्मचारी द्वारा दौरे के समय किसी एक स्थान पर दस दिन से अधिक के लगातार किसी विराम के लिए पूरी दर पर निकाला नहीं जाएगा :

परंतु आयोग, लिखित में आदेश द्वारा, इस विनियम के प्रवर्तन से, यदि आयोग, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के बढ़ाए गए उन विरामों को जो आयोग के कार्य के हित में आवश्यक हैं, आवश्यक समझता है तो, साधारण या व्यक्तिगत छूट प्रदान कर सकेगा ।

परंतु यह और कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी, लिखित में आदेश द्वारा इस विनियम के प्रवर्त्तन से, यदि मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सभी कर्मचारियों के संबंध में बढ़ाए गए उन विरामों

को जो आयोग के कार्य के हित में आवश्यक हैं, आवश्यक समझता है तो, साधारण या व्यक्तिगत छूट प्रदान कर सकेगा ।

10. यात्रा भत्तों और दैनिक भत्तों के लिए अग्रिम धन-- मुख्य कार्यपालक अधिकारी यात्रा भत्ते अनुदानों से आयोग के कर्मचारियों को उन यात्राओं के लिए, जो उनके शासकीय कार्य के संबंध में उनके द्वारा की जानी है, अग्रिम धन प्रदान करने के संबंध में आदेश जारी कर सकेगा ।

11. छुट्टी और छुट्टी भत्ते--आयोग के कर्मचारियों की छुट्टी और छुट्टी भत्ते, सरकार के ऐसे कर्मचारियों को, जो तत्समान वेतनमान की प्राप्ति में है, लागू नियमों और आदेशों के अनुसार विनियमित होंगे :

परंतु आयोग, सरकार के पूर्व अनुमोदन से या तो विषय पर नए नियम विरचित कर सकेगी या पूर्वोक्त नियमों और आदेश में आवश्यक परिवर्तन कर सकेगी ।

12. प्रोन्नति और अग्रिम वेतनवृद्धि --प्रोन्नति, सभी पदों पर चयन और उच्चतर आरंभिक वेतन का अनुदान या तत्पश्चात् अग्रिम वेतन-वृद्धियों की मंजूरी, समय- समय पर भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी सर्वथा मार्गदर्शक सिद्धांतो के अनुसार की जाएंगी ।

13. आयोग के कार्य के संबध में विदेश में प्रतिनियुक्ति -- आयोग, सरकार की पूर्व मंजूरी से, अपने कार्य के संबंध में आयोग के किसी सदस्य की भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति कर सकेगा या अपने कर्मचारियों को भारत से बाहर जाने दे सकेगा ।

14. विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए समितियों या उपसमितियों की नियुक्ति-- आयोग, अधिनियम के किन्हीं उपबंधो के अनुपालन में, आयोग की सहायता करने या उसको सलाह देने के विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए, उसके एक या अधिक सदस्यों से या अन्य व्यक्तियों या दोनों से मिलकर बनने वाली समितियां या उप समितियां नियुक्त कर सकेगी ।

15. केंटीन, भोजन कक्ष, आदि --आयोग, अपनी निधियों में से ऐसी सुविधाएं प्रदान कर सकेगा जैसे अपने कर्मचारियों के लिए, कैंटीने, मनोरंजन क्लब, भोजन कक्ष, महिला कक्ष और चिकित्सा सहायता केंद्र । आयोग, अपने वार्षिक बजट में इस निमित्त निधियों के आवश्यक उपबंध भी सम्मिलित कर सकेगा ।

16. अधिवेशन की सूचना और कार्यसूची --(1) अध्यक्ष, आयोग के प्रत्येक अधिवेशन की तारीख, समय और स्थान विनिश्चित करेगा और मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा, आयोग के अन्य सदस्यों को, जिनमें आयोग के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट पदेन सदस्य, केन्द्रीय सरकार के अधिकारी, यदि कोई हैं, सम्मिलित हैं, संसूचित किया जाएगा । संव्यवहार करने की कार्य-सूची भी, कम से कम दस दिन अग्रिम रूप से मुख्य कार्यपालक अधिकारी

द्वारा पूर्वोक्त सदस्यों और अन्य व्यक्तियों को प्रदाय की जाएगी । तथापि कार्यसूची में दर्शित कार्य से भिन्न कार्य, अध्यक्ष की अनुज्ञा से संव्यवहारित किए जा सकेंगे ।

(2) अध्यक्ष, सामान्यतः सभी अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा । उसकी अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्य, अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए, पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों में से एक सदस्य को निर्वाचित करेंगे ।

17. गणपूर्ति--(1) आयोग के चार सदस्य, आयोग के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति करेंगे ।

(2) आंचलिक समिति के एक तिहाई सदस्य, आंचलिक समिति के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति करेंगे ।

(3) यदि आयोग या आंचलिक समिति के किसी अधिवेशन में कोई गणपूर्ति नहीं होती है तो ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला अध्यक्ष या कोई अन्य व्यक्ति, किसी अन्य तारीख को अधिवेशन स्थगित करेगा और ऐसे किसी स्थगित अधिवेशन में, उपस्थित होने वाले सदस्यों की संख्या का विचार किए बिना, स्थगित अधिवेशन का कार्य का निपटान, विधिपूर्ण होगा :

परंतु स्थगित अधिवेशन सात दिन से कम की किसी तारीख के लिए नियत नहीं किया जाएगा और सभी सदस्यों को ऐसे स्थगित अधिवेशन की तारीख, समय और स्थान की सूचना दी जाएगी ।

18. मतों की गणना करना-- जब तक कि अधिवेशन का अध्यक्ष यह विनिश्चित नहीं करता है कि विशिष्ट मामलों में मतदान द्वारा मत लिए जाएंगे, सभी मत, ध्वनि द्वारा या हाथों के प्रदर्शन द्वारा लिए जाएंगे ।

19. आयोग, आंचलिक समिति और बोर्ड के अधिवेशन के कार्यवृत्त-- (1) आयोग, आंचलिक समिति और बोर्ड के अधिवेशनों की कार्यवाहियां, आयोग और आंचलिक समिति के अध्यक्ष के साधारण अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन अभिलिखित की जाएगी ।

(2) आयोग, आंचलिक समिति और बोर्ड के अधिवेशनों के कार्यवृत्तों का अनुपालन किया जाएगा और पुष्टि के लिए उनको, यथास्थिति, आयोग, आंचलिक समिति या बोर्ड के अगले अधिवेशन के समक्ष, रखा जाएगा । अधिवेशन के कार्यवृत्तों में, अन्य बातों के साथ उन व्यक्तियों के, जो ऐसे अधिवेशन में उपस्थित थे और वहां पर विनिश्चय किए गए थे, नाम भी दर्शित किए जाएंगे । यथास्थिति, आयोग का अध्यक्ष, आचंलिक समिति, अधिवेशन का बोर्ड, कार्यवृत्तों की पुष्टि होने के पश्चात् उन पर हस्ताक्षर करेंगे । कार्यवृत्तों की प्रतियां, प्रत्येक अधिवेशन के पश्चात्, मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा, केंद्रीय सरकार को अग्रसारित की जाएंगी ।

IndiaCode

(3) अधिवेशन का बुलाया जाना और उनका आयोजन किया जाना और स्थायी वित्त समिति के कार्य का संचालन :

(i) स्थायी वित्त समिति के अध्यक्ष द्वारा नियत उसके प्रत्येक अधिवेशन की तारीख, समय और स्थान के साथ अधिवेशन में संव्यवहारित किए जाने वाले कार्यों की सूची, समिति के सभी सदस्यों को, जिनमें पदेन सदस्य भी सम्मिलित हैं, समिति के सचिव द्वारा संसूचित की जाएगी और ऐसा कोई कार्य जो सूची में दर्शित नहीं है, समिति के अध्यक्ष की अनुज्ञा के सिवाय संव्यवहारित नहीं किया जा सकेगा ।

(ii) स्थायी वित्त समिति के दो तिहाई सदस्य, सिवाय किसी स्थगित अधिवेशन के जिसके लिए, कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी, किसी अधिवेशन की गणपूर्ति करेंगे । यदि किसी अधिवेशन में गणपूर्ति नहीं है तो ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला अध्यक्ष या व्यक्ति, अधिवेशन को स्थगित करेगा और स्थगित अधिवेशन के लिए उसी या अन्य किसी दिन कोई समय नियत करेगा ।

(iii) किसी स्थायी वित्त समिति के अधिवेशनों की कार्यवाही समिति के सचिव द्वारा अभिलिखित की जाएगी जो प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्तों का अनुपालन भी करेगा और उस अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों द्वारा उनका अनुमोदन भी करवाएगा । इस प्रकार अनुमोदित कार्यवृत्तों की प्रतियां सूचना के लिए आयोग के समक्ष रखी जाएंगी ।

20. आयोग की ओर से संदायों, निक्षेपों और विनिधानों के लिए प्रक्रिया--(1) आयोग द्वारा या उसकी ओर से वेतनों, मजदूरियों या भत्तों से संबंधित संदायों से भिन्न अन्य सभी संदाय, आयोग के चालू/बचत खातों में से चेकों द्वारा निकाले जाएंगें, तथापि 5000/-रु0 से अनधिक व्यक्तिगत दावों के संबंध में संदाय, नकद द्वारा किया जा सकेगा ।

(2) आयोग के कर्मचारियों के वेतनों, मजदूरियों और भत्तों से संबंधित सभी संदाय सामान्यतः कर्मचारियों के बैंक खाते के माध्यम से या आयोग के चालू या बचत खातों में से चैकों द्वारा किए जाएंगे ।

(3) आयोग के चालू/बचत खातों (अर्थात् 'खादी निधि', 'ग्रामोद्योग निधि' और 'साधारण और प्रकीर्ण निधि' खाते) के सभी चैक तथा आयोग की निधियों का विनिधान करने के लिए या उनके प्रत्याहरण के लिए या किसी अन्य रीति में व्ययन करने के लिए सभी आदेश :

(क) जब निकाले गए चैक का मूल्य 1,00,000/-रु0 (एक लाख रुपए केवल) से अनधिक है तो निदेशक (लेखा) द्वारा या ऐसे किसी अन्य अधिकारी द्वारा, जो लिखित में किसी आदेश द्वारा समय-समय पर वित्तीय सलाहकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए, हस्ताक्षरित किए जाएंगे ;

(ख) जब चैक का मूल्य 1,00,000/-रु0 (एक लाख रुपए केवल) से अनधिक है तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी या मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी ऐसे अन्य अधिकारी, जो निदेशक की (लेखा परीक्षा निदेशक से भिन्न) पंक्ति से नीचे का न हो और वित्तीय सलाहकार या वित्तीय सलाहकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी अन्य लेखा अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे ;

(4) आयोग के धन को सावधिक निक्षेपों में लगाने और किसी अन्य रीति में उनका विनिधान या व्ययन करने के लिए आयोग का अनुमोदन अपेक्षित होगा ।

21. आयोग के चालू व्ययों के लिए अपेक्षित धन की अभिरक्षा और ऐसे धन का, जो इस प्रकार अपेक्षित नहीं है, विनिधान-- (1) आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक और उसकी शाखाओं में या केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक या अनुसूचित बैंक में तीन शीर्षों के (खादी निधि खाता, ग्रामोद्योग निधि खाता तथा साधारण और प्रकीर्ण निधि खाता) अधीन बैंक खाते रखेगा । इन विनियमों के अनुसार निक्षेपों में रखी गईं निधियों की खुदरा नकदी के अपवाद सहित आयोग का समस्त धन, संबंधित निधि खातों में संदाय किया जाएगा ।

(2) आयोग, अपने किन्हीं अधिकारियों को, आयोग के कार्य के संबंध में, उसके व्ययन के स्थान पर निधियों को जमा करने के लिए उपनियम (1) में निर्दिष्ट किन्हीं अनुसूचित बैंकों में पृथक चालू या बचत खाते रखने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ।

(3) दिन-प्रतिदिन के व्ययों को करने के लिए अपेक्षित खुदरा नकदी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी या इस निमित्त लिखित में उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी की अभिरक्षा में रहेगी ।

(4) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उनको प्रत्यायोजित शक्तियों के भीतर, खुदरा व्यय उपगत करने के लिए किसी अधिकारी को किसी भी दशा में 5000/- रु0 से अनधिक धन की छोटी रकमें अग्रदाय के रूप में अभिदाय कर सकेगा । ऐसे अधिकारी जिनको ऐसी रकमें अभिदाय की गई हैं, आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में उचित खाते की संरक्षा और उसको रखे जाने के लिए, व्यक्तिगत रूप में उत्तरदायी होगा ।

22. लेखों का रखा जाना-- (1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में आयोग की प्राप्तियां और व्यय के लेखे रखेगा या रखवाएगा ।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि जब तक ऐसे व्यय के लिए प्रावधान, इस निमित्त विधि द्वारा, संसद् द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् बजट में नहीं कर दिए गए हैं और व्यय उपगत करने के लिए निधियां उपलब्ध नहीं कर दिए गए हैं, आयोग की निधियों से कोई व्यय नहीं किया गया है ।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ऐसे लेखों और अभिलेखों तथा सहायक लेखों के विवरण भी, जो समय-समय पर सरकार द्वारा या आयोग द्वारा अपेक्षित किए जाएं, तैयार करेगा या तैयार करवाएगा ।

(4) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वित्तीय सलहाकार के परामर्श से आयोग की निधियों में से किए गए व्यय की आवश्यक आंतरिक संपरीक्षा यह सुनिनिश्चत करने के अनुक्रम में संचालित करेगा कि व्यय, सर्वथा अधिनियम के अधीन नियमों और विनियमों के अनुसार और समय-समय पर आयोग और अन्य सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी आदेशों और अनुदेशों के अनुसार, उपगत किया गया है ।

23. वित्तीय शक्ति- आयोग, संगठन के कार्य का शीघ्र निपटारा और निर्बाध तथा दक्षतापूर्ण कृत्यों को सुनिश्चित करने के लिए, अपने अधिकारियों को आवश्यक वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकेगा । आयोग, यह सुनिश्चित करने के अनुक्रम में कि ये शक्तियां, संबद्ध अधिकारियों द्वारा न्याय सम्मत रूप से प्रयोग की गई हैं, अपने कर्मचारियों के मार्गदर्शन के लिए इस निमित्त उपयुक्त नियम बना सकेगा ।

24. प्रमाणीकरण समितियां और उनके द्वारा जारी किए जाने वाले, खादी आदि की विशुद्धता के प्रमाणपत्रों के प्ररूप- (1) आयोग, एक या अधिक ऐसी प्रमाणीकरण समितियों को नियुक्त करेगा, जो खादी के उत्पादकों को या खादी में व्यौहारियों को या किसी ग्रामोद्योग के उत्पादों को, खादी प्रमाणपत्र को जारी करने, नवीकरण करने और विधिमान्यता के लिए प्रमाणीकरण नियमों के तथा ऐसे अनुदेशों के जो आयोग द्वारा केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से खादी या किसी ग्रामोद्योग के उत्पादों के लिए समय-रामय पर जारी किए जाएं, अनुसार प्रमाणपत्र प्रदान करेगा । खादी की दशा में ऐसा प्रत्येक प्रमाणपत्र, उपाबंध के अनुसार प्ररूप में होगा । ग्रामोद्योग उत्पादों के लिए प्ररूप, आयोग द्वारा, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।

(2) प्रमाणीकरण समिति, उतने सदस्यों की संख्या से मिलकर बनेगी जितने, आयोग उसमें नियुक्त करना ठीक समझे और उनमें से एक समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा ।

(3) प्रमाणीकरण समिति, प्रमाणपत्रों को जारी करने के लिए फीसें ऐसी दरों पर वसूल करेगी जो अपने वित्तीय सलाहकार के परामर्श से समय-समय पर, आयोग द्वारा, अनुमोदित की जाएं ।

25. सलाह- आयोग, विनिर्दिष्ट समस्याओं के संबंध में केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अशासकीय व्यक्तियों या कर्मचारियों की सलाह मांग सकेगा या आयोग, उनके अनुभव का फायदा उठाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त की गईं समितियों के बोर्ड के कतिपय अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिए उनसे अनुरोध कर सकेगा । आयोग, ऐसे अशासकीय व्यक्तियों को यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते, ऐसी दरों और ऐसी शर्तों के अनुसार जो सरकार के पूर्व अनुमोदन से आयोग द्वारा

विनिर्दिष्ट की जाएं, संदाय करेगा । जब तक ऐसी दरें और शर्तें आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट नहीं की जाएं, तब तक अशासकीय व्यक्ति, सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसी दरों और शर्तों पर, जो उसके तत्समान श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए हैं, यात्रा और दैनिक भत्ते लेते रहेंगे । पदधारी के यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते, ऐसे पदधारियों के रूप में उनको लागू नियमों द्वारा, शासित होंगे ।

[फा. सं. 4/(97)/2006-केवीआई-I]

शेष कुमार पुलिपाका, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : दिनांक 9 सितम्बर, 1958 के मूल विनियम भारत के राजपत्र के भाग II खंड 3(i) में 13 सितम्बर, 1958 की अधिसूचना सं. का.आ. 801 के तहत मुंबई में प्रकाशित किए गए थे ।

उपाबंध

प्ररूप

(विनियम 24 देखें)

वस्त्र-स्वावलंबन, सूती, ऊनी और रेशमी खादी तथा उपकरणों के प्रसार-विकास और खादी उपकरणों तथा ग्रामोद्योग उत्पादों के विक्रय के लिए :

मुद्रा

प्रमाणपत्र संख्यांक.....

प्रमाणपत्र की विधिमान्यता तारीख.....

(यदि बीच में ही रद्द नहीं किया गया है तो) तारीख.....

प्रमाणपत्र प्राप्तिकर्ता का नाम.....

और पूरा पता.....

अनुमोदित प्रसार/विकास :

1. स्वावलंबन खादी.....
2. धंधादारी खादी.....
3. उपकरण.....
4. ग्रामोद्योग.....

अनुमोदित विक्रय क्षेत्र :

1. वस्त्रागार.....
2. अभिकरण.....

लखनऊ.....

तारीख.....

अध्यक्ष

प्रमाणीकरण समिति

MINISTRY OF MEDIUM, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2007

G.S.R. 688(E).—In exercise of the powers conferred by Section 27 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956) the Commission hereby makes, with the previous sanction of the Central Government, and in supersession of the Khadi and Village Industries Commission Regulations, 1958, except as respects of things done or omitted to be done before such supersession, the following regulation, namely :— .

1. **Short title and commitment.**—(1) These Regulations may be called the Khadi and Village Industries Commission Regulations, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—In these regulations, unless the context otherwise requires :

(a) "Act" means Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956);

(aa) "Appointing authority" means an Appointing authority as defined under clause (a) of the Regulation 2 of the Khadi and Village Industries Commission Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations, 2003;

(b) "Board" means the Board constituted under Section 10 of the Act;

(c) "Chairman" means the Chairman of the Commission;

(d) "Chief Executive Officer" means the Chief Executive Officer appointed under clause (c) of Sub-section (2) of Section 4 of the Act;

(e) "Commission" means the Khadi and Village Industries Commission, constituted under Section 4 of the Act;

(f) "Government" means the Central Government;

(ff) "Head of the Office" means an Officer declared as such by the Commission;

(g) "Rules" means The Khadi and Village Industries Commission Rules 2006 made by the Government under Section 26 of the Act;

(h) "Zonal Committee" means the Committee constituted by the Commission under Section 12A of the Act;

(i) Words and expressions used but not Defined in these Regulations and Defined in the Act and the rules made under the Act shall have the same meanings respectively as assigned to them in the said Act and Rules.

3. **Employees of Commission : General Provisions.**—(1) The Commission may, with the prior approval of the Government, adopt for its officers and employees scales of pay and allowances taking into account the rates fixed by the Government of India for employees of similar categories.

(2) The Commission shall have four main classes of employees - Group - A, B, C, and D - who may be further, classified into grades and shall issue orders prescribing duties and responsibilities of its employees from time to time.

(3) The Commission may employ persons, wherever necessary, on fixed monthly remuneration (including allowances) or on daily wages. Prior sanction of Government in such cases shall be taken if such monthly remuneration exceeds Rs. 20, 000/- per month.

(4) (a) The Commission may, if it is necessary to do so in the interest of its work, appoint honorary workers on such terms and conditions as may be settled by it with the prior approval of Government;

(b) The Commission may pay to the honorary workers such honoraria as it may think fit :

Provided that the prior sanction of Government shall be taken by the Commission where the amount of the honorarium proposed by the Commission exceeds Rs.20, 000/- per month.

(c) The Commission in consultation with its Financial Adviser may fix the grades of the honorary workers for the purpose of the determination of the traveling and daily allowances admissible to the honorary workers, after taking into consideration the social status and nature of duties which such honorary workers may be called upon to perform.

(5) Subject to the provisions of the Act, Rules and these Regulations, the Commission shall lay down the terms and conditions of service of all its employees and honorary workers (others than the Chief Executive Officer and the Financial Adviser). *Inter alia* these terms and conditions shall cover matters such as age limits at the time of recruitment, minimum qualifications and experience required in the case of any employees or class of employees, etc. The Commission may by order in writing, relax any of these terms and conditions wherever it thinks fit if necessary to do so in the interest of the work of the Commission :

IndiaCode

Provided that nothing in this sub-regulation or any other provision made in pursuance thereof shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons by the Commission, on the basis of the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

(6) In the case of permanent servants of the Central Government or any State Government whose services are lent to the Commission, the terms and conditions of service (including their pay, traveling allowance, daily allowance, leave, provident fund, leave salary, and pension contribution) shall be such as may be laid down at the time of their deputation to the Commission.

(7) The Commission may grant study leave to its employees in order to enable them to undertake study or research or to obtain specialized training in scientific, technical or economic subjects connected with the work of the Commission, subject to such terms and conditions as may be prescribed by the Commission.

(8) The Commission may, with the prior approval of Government make regulations regarding :

(a) The grant of gratuity to its permanent servants;

(b) Medical aid to be given to its employees from the funds of the Commission;

(c) The institution of contributory provident fund for the employees; and

(d) Conduct and discipline of its employees and appeals from orders in relation thereto.

4. Certificate of Health.—(1) Every employees of the Commission shall produce a medical certificate of health from such authority as may be prescribed by the Commission from time to time. Such certificates shall be produced within one month from the date of appointment.

(2) The Commission may for sufficient cause extend the period within which the medical certificate has to be produced.

(3) The Commission may, by order in writing, waive the condition regarding the production of health certificate altogether in special cases if it deems it necessary to do so in the interest of the work of the Commission.

(4) An employee discharged due to inability to secure the necessary medical certificate shall not be re-employed under the Commission without producing such a certificate by him in advance.

(5) A fresh certificate of health shall not be required if a discharged person is re-employed under the Commission within six months of the date of the certificate produced during the previous period of service.

5. Probation, Trial period, Confirmation and Superannuation.— (1) All employees of the Commission recruited against permanent or temporary vacancies shall be on probation or trial period respectively for such periods as may be specified in the guidelines issued by the Department of Personnel and Training (DOPT), Government of India from time to time. Such period of probation or trial may be extended by a maximum period of one year in individual cases by the Appointing authority if he considers it necessary to do so.

(2)(a) After satisfactory completion of the trial period employees will be continued in the temporary posts.

(b) Employees recruited against permanent vacancies will be confirmed therein after satisfactory completion of probation, provided that the employees have passed the prescribed Hindi Examination.

(3)(a) Except as otherwise provided in this sub-regulation, every employee of the Commission (other than an honorary worker or a Government Servant) shall retire on the day he attains the age of sixty years.

(b) Notwithstanding anything contained in clause (a), the Commission shall, if it is of the opinion that it is in public interest to do so, have the absolute right to retire any employee by giving him notice of not less than three months in writing or three months pay and allowances in lieu of such notice;

(i) if he is Group - A or Group - B service or post and had entered the services of the Commission before attaining the age of thirty five years after he has attained the age of fifty years;

(ii) in all other cases, after he has attained the age of fifty five years;

(iii) any employee of the Commission may by giving notice of not less than three months in writing to the Appointing authority, retire from service of the Commission after he has attained the age of fifty years if he is in Group-A or Group-B service or post and had entered the Commission's service before attaining the age of thirty five years and in all other cases after he has attained the age of fifty five years :

Provided that it shall be open to the Commission to withhold permission to an employee under suspension who seeks to retire under this clause.

(iv) Guiding factors for invoking provisions of regulation 5(3) (b) (i) and (ii):

(1) In every case where it is proposed to retire a Commission's employee in exercise of the powers conferred by sub-paras (i) and (ii) of regulation 5(3) (b) ibid, the Commission shall record in each case its reason, that it is necessary to retire the Commission's employee in pursuance of the aforesaid regulation in the public interest.

(2) While the review should be made on an assessment of the entire service record of an employee, no employee should ordinary be retired on the grounds of incompetency if his service during the preceding five years, or where he has been promoted to a higher post during that 5 years period, his service in the higher post, has been found satisfactory.

(3) No employee should ordinarily be retired on grounds of incompetency, if, in any event, he would be retiring on superannuation within a period of one year from the date of consideration of his case.

(4) When representations are received against premature retirements, final orders on the representations shall be passed only after obtaining the approval of the Chief Executive Officer and the Commission.

(5) The three months' notice referred to in regulation 5(3) (b) (i) and (ii) may be given before the Commission's employee attains the specified age or has completed thirty years of service but the retirement should take place after the Commission's employee has attained the relevant age or has completed thirty years of service, as the case may be.

(6) The aforesaid regulations shall not be applicable,

(i) to retire a Commission's employee on grounds of specific acts of misconduct as a short-cut to initiating formal disciplinary proceedings; or

(ii) for reduction of surplus staff or as a measure of effecting general economy without following the rules and instructions relating to retrenchment;

(iii) on the ground that the Commission's employee may not be suitable to continue in his officiating post or for promotion to a higher post for which he might be eligible after his attaining the age of fifty/fifty five years, or completing thirty year's service, as the case may be.

6. Termination of Services.—(1) During the period of trial, the services of a temporary employee may be terminated by the Appointing authority or an authority superior to the Appointing authority, without notice and without assigning any reason.

(2) After satisfactory completion of the period of trial, the services of a temporary employee may be terminated without assigning any reason by notice of one month or by payment of salary of one month (with allowances) in lieu of notice.

(3) The services of an employee appointed on probation against a permanent post may be terminated by the Appointing authority or an authority superior to the Appointing authority during the period of probation without notice and without assigning any reasons.

(4) After satisfactory completion of the period of probation, the services of an employee in permanent employment may be terminated if his post is abolished:

Provided that the services of an employee in permanent service shall not be liable to termination under this regulation, so long as any post of the same grade and class or cadre and under the same Appointing authority continues to be held by any person junior to him.

Provided further that such an employee may be offered an alternative appointment if vacant, suitable to his qualifications and experience and if he accepts that appointment, his services shall not be terminated.

(5)(a) No employee in permanent service shall quit his service under the Commission without first having his resignation accepted by the competent authority.

(b) When, owing to the abolition of a permanent post, an employee in the permanent service of the Commission is discharged from the Commission's service, he shall be entitled to three calendar months notice, signifying the Commission's intention to terminate his appointment or, in lieu thereof, a sum equivalent to his pay for the period by which the notice actually given, falls short of the period specified in Rules.

7. Travelling Allowances.—(1) Employees of the Commission shall be eligible for travelling and daily allowances for journeys on tour or on transfer at such rates and according to such condition as may be specified by the Central Government for employees of similar categories.

(2) The Commission may however, with the approval of the Central Government, vary such rates and conditions for its employees as and when necessary.

8. Controlling Officer.—(1) The Chairman, the Chief Executive Officer and the Financial Adviser shall be the controlling officers in respect of their own travelling and daily allowance bills.

(2) The Chairman shall be the controlling officer in respect of the travelling allowance and daily allowance bills of the Members of the Commission and the Board.

(3) The Chief Executive Officer shall be the controlling officer in respect of the travelling allowance and daily allowance bills of the employees of the Commission and non-officials other than the Members of the Commission and the Board.

(4) The Chief Executive Officer may, by order in writing, direct that the powers of controlling officer for the purpose of traveling and daily allowance shall be exercisable by any other officer of the Commission provided that an officer is not declared his own controlling officer.

(5) Heads of offices will be the controlling officers in respect of Group 'C' and 'D' employees.

9. Daily Allowance.—Daily allowance shall not be drawn at full rate by any of the employees of the Commission for a continuous halt of more than ten days at any one place while on tour:

Provided that the Commission may, by orders in writing, grant general or individual exemption from operation of this regulation, if the Commission thinks it necessary that the Chief Executive Officers prolonged halts are necessary in the interest of the work of the Commission :

Provided further that the Chief Executive Officer may, by order in writing, grant general or individual exemption from operation of this regulation, if the C.E.O. thinks it respect of the all employees if prolonged halts are necessary in the interest of the work of the Commission.

10. Advances for Travelling and Daily Allowances.—The Chief Executive Officer may issue order in respect of granting advances to the employees of the Commission from the travelling allowance grants for journeys which are to be performed by them in connection with their official work.

11. Leave and leave Allowances.—Leave and leave allowances of the employees of the Commission shall be regulated according to the rules and orders applicable to the employees of the Government who are in receipt of corresponding scales of pay :

Provided that the Commission, may, with the prior approval of Government, either frame fresh rules on the subject or make necessary changes in the rules and order aforesaid.

12. Promotion and Advance Increments.—Promotions, selections to all the posts and granting higher initial salary or sanctioning advance increments subsequently shall be made strictly as per the guidelines issued by the Government of India, Department of Personnel and Training from time to time.

13. Deputation Abroad in Connection with the work of the Commissions.—The Commission may, with the prior sanction of the Government, depute any member of the Commission or any of its employees to proceed outside India in connection with its work. The Commission may issue orders, with the prior approval of the Government regarding the grant of funds to persons deputed outside India.

14. Appointment of Committees and Sub-committees for Specific purposes.—The Commission may appoint committees or sub-committees consisting of one or more of its members or of other persons or both, for specific purpose to assist or advise the Commission in complying with any of the provisions of the Act.

15. Canteen, Lunch Room etc.— The Commission may, out of its funds, provide facilities such as canteens, recreation clubs, lunch rooms, ladies rooms and medical aid centers for its employees. The Commission may include the necessary provision of funds in this behalf in its annual budget.

16. Notice of Meetings and List of Business.— (1) The Chairman shall decide the date, time and place of every meeting of the Commission and this shall be communicated by the Chief Executive Officer to other members of the Commission, including Ex-officio Members and the officers of the Government, if any, nominated by the Government for attending the meeting of the Commission. A list of business to be transacted shall also be supplied to the members and other persons aforesaid by the Chief Executive Officer at least ten days in advance. Business other than that shown in the list can, however, be transacted with the permission of the Chairman.

(2) The Chairman shall ordinarily preside over all meetings. In his absence, the members present shall elect one of the members other than the Ex-officio Members to preside over the meeting.

17. Quorum.— (1) Four members of the Commission shall form the quorum for meeting of the Commission.

(2) One third of the members of the Zonal Committee shall form the quorum for the meeting of the Zonal Committee.

(3) If at any meeting of the Commission or the Zonal Committee, there is no quorum, the Chairman or any other person presiding over such a meeting shall adjourn the meeting to another date and it shall thereupon be lawful to dispose of the business at such an adjourned meeting irrespective of the number of members attending the adjourned meeting :

Provided that the adjourned meeting is fixed for a date not less than seven days later and that all the members are informed of the date, time and place of such adjourned meeting.

18. Casting of votes.— All votes shall be taken by voice or by show of hands unless the Chairman of the meeting decides that votes shall be taken by ballot in particular cases.

19. Minutes of the Meetings of the Commission, Committee and Board.— (1) Proceedings of the meetings of the Commission, the Zonal Committee and the Board shall be recorded under the general supervision and control of the Chairman of the Commission, Zonal Committee and the minutes of meeting will be circulated to the members and other person aforesaid by the Chief Executive Officer.

(2) Minutes of the meetings of the Commission, the Zonal Committee and the Board shall be complied and shall be placed before the next meeting of the Commission, the Zonal Committee or the Board, as the case may be, for confirmation. The minutes of the meeting shall inter alia, show the names of the persons who attended such meeting and the decisions taken thereat. The Chairman of the Commission, Zonal Committee as the case may be, the Board of the meeting shall sign the minutes, after they are confirmed. Copies of the minutes shall be forwarded to Central Government by the Chief Executive Officer, after each meeting.

(3) Summoning and holding of meeting and the conduct of business of Standing Finance Committee.

(4)(i) The date, time and place of every meeting of a Standing Finance Committee fixed by its Chairman shall be communicated by the Secretary to the Committee to all members of the Committee including ex-officio members, together with a list of business to be transacted at the meeting and no business which is not shown in the list, may be transacted except with the permission of the Chairman of the Committee.

(ii) Two third of the members of the Standing Finance Committee shall form a quorum for a meeting except at an adjourned meeting for which no quorum shall be necessary. If at any meeting, there is no quorum, the Chairman or the person presiding at such meeting shall adjourn the meeting and fix any other time on the same or another day for the adjourned meeting.

(iii) The proceedings of the meetings of a Standing Finance Committee shall be recorded by the Secretary to the Committee who shall also compile the minutes of each meeting and get them approved by the members present at that meeting. Copies of the minutes thus approved shall be placed before the Commission for information.

20. Procedure for Payments, Deposits and Investiments on Behalf of the Commission.—(1) All payments other than payments relating to salaries, wages and allowances by or on behalf of the Commission shall be made by cheques drawn against the current/savings accounts of the Commission; payment in respect of individual claims not exceeding Rs. 5,000 may however be made in cash.

(2) All payments relating to salaries, wages and allowances to the employees of the Commission shall ordinarily be made through the Bank Account of the employees or by cheques drawn against the current or savings accounts of the Commission.

(3) All cheques drawn against the current/savings accounts of the Commission (i.e. 'Khadi Fund', 'Village Industries Fund' and "General and Miscellaneous Fund" account) and all orders for making investment or for the withdrawal of the same or for the disposal in any other manner of the funds of the Commission shall :

(a) be signed by the Director (Accounts) or any other Officer as may be nominated by the Financial Adviser from time to time by an order in writing when the value of the cheque drawn does not exceed Rs. 1,00,000 (Rupees one lakh only);

(b) signed jointly by the Chief Executive Officer or any other Officer not below the rank of a Director (other than the Director of Audit) nominated by the Chief Executive Officer and the Financial Adviser or any other Account Officer, nominated by the Financial Adviser when the value of the cheque exceeds Rs. 1,00,000 (Rupees one lakh only).

(4) Placing of moneys belonging to the Commission in fixed deposits and their investment or disposal in any other manner shall require approval of the Commission.

21. Custody of Money required for Current Expenditure of Commission and Investment of money not so required.— (1) The Commission shall maintain bank accounts under three heads (Khadi Fund Account, Village Industries Fund Account and General and Miscellaneous Fund Account) in the Reserve Bank of India and its branches or with any other Nationalized Bank or Scheduled Bank approved by the Government. All moneys of the Commission with the exception of petty cash of funds kept at deposit in accordance with these regulations shall be paid into the respective fund account.

(2) The Commission may authorize any of its officers to maintain a separate current or savings accounts in any of the Banks referred in for depositing funds placed at its disposal in connection with the work of the Commission.

(3) The petty cash, required for meeting current expenditure shall be in the custody of the Chief Executive Officer or an officer nominated by him in writing in this behalf. The Commission may decide the amount of the petty cash thus maintained from time to time.

(4) The Chief Executive Officer may advance as imprest small amounts of money not exceeding Rs. 5,000 in any one case to any of the officers for incurring petty expenditure within the powers delegated to them. The offices to whom such amounts are advanced shall be personally responsible for the security and for maintaining proper account, in the form specified by the Commission.

22. Maintenance of Accounts.—(1) The Chief Executive Officer shall maintain or cause to be maintained an account of receipts and expenditure of the Commission, in the form specified by the Government.

(2) The Chief Executive Officer shall be responsible for ensuring that no expenditure is made from the funds of the Commission unless provisions for such expenditure has been made in the budget after due appropriation made by Parliament by Law in this behalf and funds are available for incurring the expenditure.

(3) The Chief Executive Officer shall also prepare or cause to be prepared such statements of accounts and records and subsidiary accounts as may be required by the Government or by the Commission, from time to time.

(4) The Chief Executive Officer shall, in consultation with the Financial Adviser, conduct necessary internal audit of the expenditure made out of the funds of the Commission in order to ensure that the expenditure is incurred strictly according to rules and regulations under the Act and in accordance with the orders and instructions issued by the Commission and other competent authorities from time to time.

23. Financial Power.—The Commission may delegate necessary financial powers to its officers for ensuring expeditious disposal of work and smooth and efficient functioning of the organization. The Commission may make suitable rules in this behalf for the guidance of its staff in order to ensure that these powers are judiciously used by the officers concerned.

24. Certification committees and the Forms of Certificates of Genuineness of Khadi etc., to be issued by them.— (1) The Commission shall appoint one or more Certification Committees which shall grant certificates to producers of or dealers in khadi or the products of any village industry, in accordance with certification rules for issuance, renewal and validity of Khadi certificate and such instructions as the Commission may issue from time to time for khadi or the products of any village industry with the prior approval of the Government. Every such certificate in the case of Khadi shall be in the form as per Annexure-I. Forms for Village Industry products will be specified from time to time with the prior approval of the Government by the Commission.

(2) A Certification Committee shall consist of such number of members as the Commission may think fit to appoint thereto, and one of them shall be appointed as the Chairman of the Committee.

(3) A Certification Committee shall levy fees for issue of certificates at rates that may be approved by the Commission from time to time in consultation with its Financial Adviser.

25. Advice.—The Commission may seek advice of non-official persons or employees of the Central Government or State Government in regard to specific problems or may request them to attend certain meetings of the Commission, the Board of Committees appointed by the Commission for having the benefit of their experience. The Commission shall pay traveling and daily allowances to such non-official persons at the rates and according to such conditions as may be specified by the Commission with the prior approval of the Government. Until such rates and conditions are specified by the Commission, the non-official persons shall draw traveling and daily allowances at the rates and conditions specified by the Government for its employees of corresponding grades. The traveling and daily allowances of the official would be governed by the rules applicable to them as such officials.

[F. No. 4(97) 2006-KVI-I]

SESH KUMAR PULIPAKA, Jt. Secy.

Note: The Principal Regulations dated 9th September, 1958 were published in Section 3(i) of Part-II of Gazette of India No. G.S.R. 801 on 13th September, 1958 at Bombay.

ANNEXURE

FORM

(See Regulation 24)

Evolution/Development of Vastra-Sawavlamban, Cotton, Woollen and Silk Khadi and Implements and for the sales of Khadi Implements and Village Industries products :

SEAL

Certificate No. :

Validity date of Certificate :

(If it is not cancelled in between) Date :

Name of Certificate receiver :

And Full Address :

Approved Evolution/Development :

1. Sawavlamban Khadi
2. Dhandhadari Khadi
3. Implements
4. Village Industries

Approved sales area :

1. Vastragar
2. Agency

Lucknow :

Date :

Chairman

Certification Committee

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.